न्यायालय अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) रूड़की, जिला हरिद्वार।
मूलवाद सं0 234 / 2022
कम्प्यूटर वाद संख्या 234 / 2022
वन्दना शर्मा विरूद्ध पप्पू आदि

दिनांकः 09.12.2025—

पुकारा गया। पुकार पर वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार थपलियाल उपस्थित एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री महक सिंह सैनी उपस्थित है। पक्षगण को प्रार्थना पत्र कागज सं0 37क1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 व आपत्ति 43ग2 पर पूर्व तिथि पर सुना गया। पत्रावली आज की तिथि में आदेश हेतु नियत हैं।

2. संक्षेप में प्रार्थी / वादी के कथन प्रार्थना पत्र कागज संख्या—37क1 में इस प्रकार है कि वादनी द्वारा वाद उपरोक्त वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा विद्वान न्यायालय में योजित किया गया है जिसके उत्तर में प्रतिवादीगण ने अपना लिखित कथन पत्रावली पर दाखिल किया गया है। स्वीकार्य रूप से प्रतिवादी सं0 01, के स्वर्गीय पिता श्री प्रेमचन्द द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति रक्बई 165.35 वर्ग फिट सम्पत्ति द्वारा बैनामा दस्तावेज सं0 1087, दिनांकित 05.04.2023 से विक्रय कर दी थी। बैनामे की सत्य प्रतिलिपि वादनी द्वारा पत्रावली पर सूची अभिलेख दिनांकित 25.07.2022, से दाखिल की गयी है। उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति वर्तमान में वादिनी द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 20.04.2022, से मालिक काबिज है। बैनामा पत्रावली पर कागज सं0 9सी1, पत्रावली पर दाखिल किया गया है। वादिनी कानूनी प्रकिया से पूर्णरूप से अनभिज्ञ है तथा वादिनी द्वारा समस्त तथ्य अपने अधिवक्ता को बता दिये थे, किन्तु मामला निहायत ही आवश्यक व फौरी / तीव्र था, जिस कारण सहवन गलती से भूलवश वादिनी द्वारा बताये गये समस्त तथ्य वादपत्र में अंकित नही हो सके थे। जिस कारण से एक अनुतोष भी भूलवश तलब किये जाने से छूट गया था। अभी हाल ही में वादिनी को प्रतिवादी सं0 01, द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण हेतु स्वीकृत कराये गये नक्शे की ऑनलाईन डिजिटल कॉपी / नकल प्राप्त हुई है, जो पत्रावली पर द्वारा सूचनी अभिलेख दखिल की जा रही है और पत्रावली की तैयारी करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रतिवादी सं0 01 के पिता द्वारा विक्रीत उपरोक्त सम्पत्ति की मात्र पूरब व उत्तर दिशा की दीवारें ही मुश्तरफा / संयुक्त थी, और पश्चिम व दक्षिण दिशा की दिवारे क्रेता अर्थात वर्तमान में वादिनी की है। जिसके उपर बिना वादिनी की अनुमति के किसी प्रकार के निर्माण प्रतिवादीगण नही कर सकते है। परन्तु यह तथ्य सहवन गलती से भूलवश दावे में लिखे जाने से छूट गये है, तथा प्रस्तावित संशोधन आवश्यक प्रकृति के है। जिनसे विद्वान न्यायालय को भी पक्षकारों के मध्य विवाद के न्यायपूर्ण निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी। इसलिए वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाना वाद के न्यायोचित निस्तारण हेतु न्यायहित में आवश्यक हो गया है। इन संशोधनों से वाद की प्रकृति व स्वभाव परिवर्तित नही होते है तथा वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और पक्षकरों को साक्ष्य नही हुआ है। अतः उपरोक्त के प्रकाश में वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

विवरण प्रस्तावित संशोधन

1— यह कि वादपत्र के पैरा सं0 07, की चौथी पंक्ति में शब्द ''उपर'' व ''नव'' के मध्य में शब्द ''बिला अधिकार अवैध रूप से'' लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

2— यह कि वाद पत्र के पैरा सं0 07 के पश्चात पैरा सं0 7अ, निम्न प्रकार से लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

''अ– यह कि, प्रतिवादी सं0 01, के पिता स्व0 प्रेमचन्द्र द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 05.04.2023 से (पांच अप्रैल दो हजार तीन) के अनुसार मात्र पूरब व उत्तर दिशा की दीवारें ही मुश्तरफा/संयुक्त थी और पश्चिम व दखिण दिशा की दीवारें क्रेता, अर्थात वर्तमान में वादिनी की है। जिसके उपर बिना वादिनी की अनुमति के किसी प्रकार का कोई निर्माण प्रतिवादीगण नही कर सकते है, इसलिए वादिनी की प्रश्नगत सम्पत्ति दुकान की पुरानी गिराउ छत के उपर नई छत के उपर प्रतिवादीगण द्वा रा बिना अनुमति किये गये बिला अधिकार कुल निर्माण अवैध है, जिसे हटाने के प्रतिवादीगण जिम्मेदार है।''

3– यह कि, वाद पत्र के पैरा सं0 15, की चौथी पंक्ति में शब्द ''निषेधाज्ञा के'' को कलमजद कर उसके स्थान पर शब्द ''प्रत्येक'' लिखने की व शब्द ''अधिकतम'' को कलमजद कर शब्द ''कुल'' व पांचवी पक्ति मे अंक व शब्द ''500/–(पांच से रूपये)'' को कलमजद कर ''1000/–'' लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

4– यह कि, वादपत्र के अन्त में विवरण प्रश्नगत सम्पत्ति में चौहददी में ''उत्तर में–मकान मुकेश सैनी'' में शब्द मुकेश सैनी का कलमजद कर शब्द ''अनिल कुमार उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 प्रेमचन्द (प्रतिवादी)'' लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

5– यह कि वाद पत्र में तलब किये गये अनुतोष ''अ'' के पश्चात अनुतोष ''अ–1'' निम्न प्रकार से लिखने की अनुमति प्रदान की जाये।

''(अ–1) डिक्री मेन्डेटरी निषेधाज्ञा बहक वादनी बरखिलाफ प्रतिवाददीगण इस मजमून से सादिर फरमायी जावे कि, प्रतिवादीगण न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतरवादपत्र के अन्य में वर्णित वादिनी की प्रश्नगत सम्पत्ति दुकान की पुरानी गिराउ छत के उपर निर्मित नई छत के उपर किये गये कुल अवैध निर्माण को तोउकर हटा दे तथा यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा न किया जाये तो उक्त कार्य द्वारा ऐजेन्सी अदालत करवाया जावे।''

3. प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में शपथपत्र कागज संख्या–38ग2 सूची कागज सं0 39ग2 से प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण हेतु स्वीकत कराये गये नक्शे की डिजिटल कॉपी/नकल कागज सं0 40ग1 व नकल दानपत्र बहक प्रतिवादी सं0 01 अनिल कुमार दस्तावेज सं0 3089 दिनांकित 01.04.2022 कागज सं0 41ग1/1 लगायत 41ग1/18 प्रस्तुत किया गया है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कागज सं0 43ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.03.2024 खिलाफ मौका, खिलाफ वाकात है और प्रत्येक दशा में निरस्त होने योग्य हैं प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में वादनी द्वारा जिस तथ्य की बाबत संशोधन चाहा गया है उक्त तथ्य पूर्व से ही वादनी की जानकारी में वाद दायर करने से की तिथि से पूर्व से ही बखूबी चले आते है, परन्तु वादनी ने दुर्भावनापूर्वक वाद की कार्यवाही को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण तक सीमित रखने की गरज से अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है इसलिए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादनी नया वाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिसकी अनुमति प्रतिवादीगण को दिया जाना न्यायासंगत नही है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र से चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित है और आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है। वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है तथा चाहा गया संशोधन अव्यवहारिक है एवं न्यायसंगत नही है इसलिए भी वादनी को संशोधन की अनुमति प्रदान नही की जा सकती। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र वाद को लम्बित रखने एवं प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। अतः अन्य कारणो के अतिरिक्त उपरोक्त कारणों के आधार पर वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि वर्तमान वाद में अभी विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं न ही विवाद्यक विरचित किये गये है। प्रार्थी/वादी द्वारा वर्तमान वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया गया है कि वाद दायर करते समय अनुतोष अतिआवश्यक होने के कारण वादिनी के विद्वान अधिवक्ता त्रुटिवश सम्पूर्ण तथ्य वादपत्र में अंकित नही कर पाये थे, वादिनी को हाल ही में प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण हेतु स्वीकृत कराये गये नक्शे की ऑनलाईन डिजीटल प्रति प्राप्त हुई है, जिसे वह इस प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर दाखिल कर रही है, प्रार्थीनी/वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि पत्रावली की तैयारी करते समय कुछ तथ्य संज्ञान में आये है, जोकि भूलवश मूल दावे में लिखने से छूट गये थे, जिस कारण वादपत्र को न्यायहित में संशोधत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति व स्वभाव में कोई परिवर्तन नही होता है।

7. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबंध में आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता 1908 का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है जोकि इस प्रकार है कि :–

अभिवचनों का संशोधन– न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायासंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों :

परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुॅचे कि सम्यक् तत्परता बरतने के उपरान्त भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

8. जहां तक टंकण त्रुटि या भूलवश तथ्य वाद पत्र में अंकित होने से छूट जाने के कारण वादपत्र में संशोधन चाहे जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्याय निर्णय में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है किः–

Jai Jai Ram Manohar lal vs. National Building Material Supply, Gurgaon, 1969(1) SCC 869,

"It was held that a party cannot be refused jus relief merely because of some mistake, negligence, inadvertence of even infraction of the rules of procedure. The court always gives leave to amend the pleading of a party, unless it is satisfied tha the party appliying was acting malafide, or that by his blunder he had caused injury to his opponent which may not be compensated for by an order of costs. However negligent or carelessness may have been the first omission and however late the proposed amendment, the amendment may be allowed if it can be made without injustice to the other side.**"**

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्याय निर्णय में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है किः–

Revajeetu Builders and Developers vs. Narayanaswamy and Sons and others 2010(1) Civil Court Case 001 (S.C.): 2010(1) Apex Court,

"The Courts have consistently laid down that for unnecessary delay and inconvenience, the opposite party must be compensanted with costs. The imposition of costs is an important judicial exercise particularly when the Courts deal with the cases of amendment.**"**

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के ससम्मान अवलोकन से यह विदित है कि यदि टंकण त्रुटि या भूलवश तथ्य वादपत्र में अंकित किये जाने से छूट जाने के कारण वाद पत्र में विलम्ब से संशोधन की प्रार्थना की जाती है, तो ऐसे में यदि न्यायालय पाता है कि उपरोक्त संशोधन किसी बदनियती के आशय से नहीं चाहा गया है तो ऐसे में, न्यायालय प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत कर सकता है। वर्तमान प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से जो संशोधन चाहा गया है, उपरोक्त संशोधन टंकण त्रुटि को दुरूस्त करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि कुछ तथ्य हाल ही में वादिनी को प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण हेतु स्वीकृत कराये गये नक्शे की ऑनलाईन डिजीटल प्रति प्राप्त होने पर हुई है, जिस कारण भी वादपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामलें में अभी विचारण प्रारम्भ नही हुआ है, पक्षगण के मध्य विवाद्यक विरचित किये जाने शेष है तथा यदि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहे गये संशोधन को स्वीकृत भी किया जाता है तो ऐसे में प्रतिवादी के पास उपरोक्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त अभिवचन एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त है। जहां तक आपत्तिकर्ता/प्रतिवादी की ओर से यह कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा जानबूझकर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के आशय से विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, तो इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विलम्ब के कारण कारित क्षति की पूर्ति प्रार्थी/वादी से आपत्तिकर्ता/प्रतिवादी को हर्जे की धनराशि प्राप्त कराकर की जा सकती है।

11. उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वादो की बहुलता को रोके जाने के सिद्धान्त तथा समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था की दृष्टिगत न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थिनी/वादिनी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में हर्जे पर स्वीकृत किये जाने से विधि के सिद्धांतों की पूर्ति होना संभव विदित होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र कागज संख्या–37क1 स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

दीवानी वाद संख्या–234/2022 में प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या–37क1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17, धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 न्यायहित में 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) पर स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार वादी को वाद पत्र कागज संख्या–4क में वांछित संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थिनी/वादिनी उपरोक्त कथित संशोधन भीतर सात दिन प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को हर्जे की धनराशि प्राप्त कराकर, नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार आपत्ति कागज सं0 43ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश/अतिरिक्त जबावदावा दिनांक 16.01.2026 को पेश हो।

(बीनू गुल्यानी)
अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग),
रूड़की, जिला हरिद्वार।